

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

एफ० ए० संख्या—५६ / २००६

के साथ

आई० ए० संख्या—४२२७ / २०१९

(लैंड रेफरेंस वाद संख्या—६१० / १९९१ में अवर न्यायाधीश द्वितीय, हजारीबाग के द्वारा पारित दिनांक १९.१२.२००५ के निर्णय और दिनांक ०५.०१.२००६ के पंचाट के विरुद्ध)

बेर्स बोकारो कोलियरी, टिस्को, अब, टाटा स्टील लिमिटेड, एट इंड पी०ओ०—घाटोटांड, पी०एस०—मांडू
जिला—हजारीबाग।

..... अपीलार्थी / विपक्षी पार्टी

बनाम्

१. छोटू प्रसाद साहू उर्फ छोटे प्रसाद साहू
२. कमलेश्वर साव
३. बेनी साओ, क्रमांक १ से ३ बुटन साव के पुत्र हैं
४. आनंद प्रसाद
५. सीता राम, क्रमांक ४ व ५ कैलाश साव के पुत्र हैं
६. हटा दिया गया
७. गोपाल साव
८. हरिहर साव
९. पदुम साव, क्रमांक ७ से ९ स्वर्गीय मोहन साव के पुत्र हैं
१०. बसंती देवी, पत्नी अर्जुन साव और मोहन साव की बहू
११. तालेश्वर साव, पिता: स्वर्गीय मोहन साव
१२. रामेश्वर साव
१३. लोकनाथ साव
१४. सरजू साव
१५. मथुरा प्रसाद साव
१६. गुलाब साव
१७. नागेश्वर प्रसाद, क्रमांक १२ से १७ स्वर्गीय खेदू साव के पुत्र हैं
१८. जगदीश साव
१९. दिनेश्वर साव, क्रमांक १८ व १९ स्वर्गीय चोवा साव के पुत्र हैं
- २० (ए) लक्ष्मी देवी, स्वर्गीय बिजली साव की पत्नी
- २० (बी) बीरबल साहू
- २० (सी) अशोक कुमार
- २० (डी) रामसेवक साव, क्रमांक २० (बी) से २० (डी) स्वर्गीय बिजली साव के पुत्र और
ग्राम—बारुगुद्ध, पी.ओ. के निवासी + पी.एस.—मांडू जिला—रामगढ़
२१. महावीर साव, पुत्र मानकी साव
२१. महावीर साव, पे०—मानकी साव
- २२ (क) कलावती देवी, पत्नी—तेजनारायण साव
- २२ (ख) दिलीप कुमार, पे०—तेजनारायण साव
- २२ (ग) नीतू देवी, संदीप कुमार की विधवा और तेजनारायण साव की बहू
- २२ (घ) आयुष कुमार, स्वर्गीय संदीप कुमार के नाबालिग पुत्र और स्वर्गीय तेजनारायण साव का पोता
- २२ (च) नीती कुमारी, स्वर्गीय संदीप साव की नाबालिग बेटी और स्वर्गीय तेजनारायण साव का पोती।

नाबालिग बेटे और बेटी दोनों का विधिवत प्रतिनिधित्व उनकी माँ, प्राकृतिक संरक्षक अर्थात्
नीतू देवी के माध्यम से किया जाता है।

संदीप कुमार, पे०—स्वर्गीय तेजनारायण साव, सभी गाँव—बरुगृट्टू, पी०ओ० एवं पी०एस०—मांडू
जिला—रामगढ़

23 (क) रोशन कुमार, पे०—स्वर्गीय बंदेश्वर साव, निवासी गाँव—बरुगुटदू, पीओ० एवं पी०एस०—मांडू
जिला—रामगढ़

..... आवेदक / प्रतिवादी / प्रथम पक्ष

24. उपायुक्त, हजारीबाग

..... विरोधी पक्ष / प्रतिवादी

अपीलार्थी के लिए :— श्री प्रत्यूष कुमार, अधिवक्ता।
उत्तरदाताओं के लिए :—श्री अरबिंद कु० सिन्हा, अधिवक्ता।

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:— 1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टियों को सुना।

2. यह अपील लैंड रेफरेंस वाद संख्या—६१०/१९९१, जो कि एल०ए० वाद संख्या—१७/८८—८९ से उद्भूत है, में दिनांक १९.१२.२००५ को अवर न्यायाधीश द्वितीय, हजारीबाग द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा १८ के अन्तर्गत पारित दिनांक १९.१२.२००५ के निर्णय एवं पंचाट के खिलाफ दाखिल की गई है, जो दिनांक १९.१२.२००५ के एकल आदेश एवं पंचाट के द्वारा अन्य लैंड रेफरेंस मामलों के साथ निपटाया गया था।

3. यह संयुक्त रूप से अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के साथ—साथ सभी उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया जाता है कि अपीलकर्ता और साथ ही ३० उत्तरदाताओं में से २६ जिसमें मृतक प्रतिवादी २०, २२ और २३ के ८ प्रतिस्थापित कानूनी प्रतिनिधि शामिल हैं, की ओर से संयुक्त समझौता याचिका दायर की गई है। यह अपीलकर्ता के साथ—साथ सभी उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा संयुक्त रूप से निवेदन किया गया है कि अन्य भूमि अधिग्रहण मामलों में जो कि एक ही निर्णय से उद्भूत है, इन अपीलों एफ०ए० सं०—१०४/२००६ तथा एफ०ए० सं०—११३/२००६ में समझौता के परिणामस्वरूप उसी निर्णय द्वारा निष्पादन कर दिया गया है, और उन अपीलों में, पार्टियों के बीच इस आशय का समझौता हुआ है कि दावेदार—उत्तरदाताओं ने स्वेच्छा से, बिना शर्त और असमान रूप से छोड़ देने के लिए सहमति व्यक्त की है और इस तरह पंचाट की तिथि से निष्पादन करने वाले अदालत में उस राशि को अपीलकर्ता द्वारा जमा करने की तारीख १०.०७.२०१२ तक अर्जित ब्याज की राशि का ४०% छोड़ देंगे। अपीलार्थी और सभी प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संयुक्त रूप से यह निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को, न्यायालय के आदेशों के अनुसार, कार्यपालन कराने वाले न्यायालय (एक्सिक्यूटिंग कोर्ट) में अपीलार्थी द्वारा जमा की गई सूद सहित रकम जो कि अधिनिर्णित किया गया है, को मुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। पुनः अपीलार्थी और सभी प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संयुक्त रूप से निवेदन किया गया कि उन मामलों में तथा इस वाद

में दाखिल समझौता याचिका में भी, मूलधन जमा की तिथि यानि, 10.07.2012 से पंचाट की तिथि तक कुल प्रोद्भूत ब्याज का 60% भुगतान दावेदारों—उत्तरदाताओं को करने के लिए स्वेच्छा से सहमत हो गया है तथा दावेदारों—उत्तरदाताओं ने रजामंदी से, स्वेच्छा से, बिना शर्त के तथा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की है और इस प्रकार छूट दी है और विद्वान निष्पादन न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णित राशि पर दिनांक 10.07.2012 के बाद किसी भी तरह के ब्याज का किसी भी तरह का दावा नहीं करेगा और दावेदार—उत्तरदाताओं ने परिनिर्धारण राशि से पूरी तरह से संतुष्ट होने की पुष्टि करते हैं और अपीलकर्ता के विरुद्ध अधिनिर्णित राशि पर किसी भी तरह का पुनः दावा, मांग तथा/या शिकायत नहीं करेंगे और अपीलकर्ता उपरोक्त 60% ब्याज, रजामंदी से तथा स्वेच्छा से उक्त अपील में न्यायालय के इस आदेश के एक माह के अन्दर, जमा करने पर सहमति व्यक्त किये हैं। पुनः संयुक्त रूप से, अपीलार्थी और सभी प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इस अपील में आई0ए0 संख्या 4227 / 2019 द्वारा इसी तरह का समझौता याचिका संयुक्त रूप से अपीलकर्ता तथा 30 में से 26 उत्तरदाताओं द्वारा दाखिल किया गया है जिनके नाम हैं छोटू प्रसाद साहू उर्फ छोटे प्रसाद साहू कमलेश्वर साव, बेनी साव, आनन्द प्रसाद, सीता राम, गोपाल साव, हरिहर साव, पदुम साव, बसन्ती देवी, तालेश्वर साव, रामेश्वर साव, सरजु साव, मथुरा प्रसाद साव, गुलाब साव, नागेश्वर प्रसाद, जगदीश साव, दिनेश्वर साव, लक्ष्मी देवी, बिरबल साहू अशोक कुमार, रामसेवक साव, महावीर साव, कलावती देवी, दिलीप कुमार, नीतू देवी, रोशन कुमार और आगे दोनों पक्षों द्वारा निवेदन किया गया कि अगर पंचाट को पूर्वोक्त सीमा तक संशोधित कर दिया जाये, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

4. आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान अवर न्यायाधीश-II, हजारीबाग, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद इस मामले में अधिग्रहित भूमि 1500/- रूपये प्रति डिसमिल का सपाट दर (फ्लैट रेट) पर मुआवजा, तोषण (सोलेशियम), ब्याज तथा अन्य लाभों सहित, जैसा कि विधि में प्रावधानित है, निर्धारित किया है जो 1,50,000/- रूपये प्रति एकड़ के समतुल्य है। मुआवजे की राशि पर पहुँचने में विद्वान विचारण न्यायालय ने एल0 आर0 वाद सं0—600 से 617 / 1991 में पारित दिनांक 17.11.1992 के निर्णय पर भरोसा किया है क्योंकि उन मामलों में शामिल भूमि समान एवं समरूप क्षमता की थी, जैसा कि इस वाद में दाखिल भूमि की है तथा उक्त निर्णय में, 1,50,000/- रूपये प्रति एकड़ की मुआवजा अधिनिर्णित की गयी है तथा उक्त निर्णय के खिलाफ दायर प्रथम अपील इस न्यायालय की एक समकक्ष पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है। हालांकि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इस अपील में कई बिन्दू उठाए गए हैं लेकिन अपीलकर्ता और उत्तरदाताओं के मध्य हुए समझौते के मद्देनजर, अपीलकर्ता उक्त आधारों को प्रचालित नहीं करता है और अपना दलील मुआवजा राशि के ब्याज घटक को, पंचाट तिथि से उक्त राशि के

जमा करने की तिथि यानि 10.07.2012 तक, सिर्फ 40% कम करने हेतु निर्णय एवं पंचाट को संशोधित करने तक सीमित करते हैं तथा न्यायालय द्वारा 10.07.2012 से उक्त रकम के निर्मुक्त होने की तिथि तक मूलधन पर अर्जित ब्याज का भी।

5. इस अपील के प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार सिंहा निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थियों को कोई आपत्ति नहीं है यदि आक्षेपित निर्णय और पंचाट में अपीलार्थी द्वारा पंचाट की तिथि से 10वीं जुलाई, 2012 तक देय ब्याज को 40% घटाकर संशोधन कर दिया जाये।

6. वाद के तथ्यों तथा न्यायालय में प्रस्तुत दलीलों तथा मामले की चिरकाल लंबित होना तथा अपीलार्थी एवं 26 प्रत्यर्थियों द्वारा समझौता याचिका दाखिल किये जाना तथा श्री अरविन्द कुमार सिंहा, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता के दलील पर विचार करते हुए, निर्णय एवं पंचाट में प्रत्यर्थियों को अपीलकर्ता द्वारा देय ब्याज, पंचाट की तिथि से दिनांक 10.07.2012 को उक्त राशि के जमा करने की तिथि तक 40% घटाते हुए संशोधन करना उचित होगा और प्रत्यर्थियों को दिनांक 10.07.2012 से उक्त राशि के वास्तविक निर्मुक्ति की तिथि तक मूलधन पर किसी भी तरह के ब्याज से भी वंचित किया जाता है। लैंड रेफरेंस वाद सं0—610/1991 में दिनांक 19.12.2005 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम में पारित निर्णय एवं पंचाट को निम्नलिखित प्रकार संशोधित किया जाता है:-

(i) कि, मुआवजे की दर 1,50,000/- रूपये प्रति एकड़ की सपाट दर (फ्लैट रेट) होगी।

(ii) प्रत्यर्थीगण को पंचाट की तिथि से उक्त राशि की जमा करने की तिथि दिनांक 10.07.2012 तक उनके क्रमशः मूलधन पर प्रोद्भूत ब्याज के 60% का हकदार होंगे। प्रत्यर्थीगण, अपीलकर्ता द्वारा जमा राशि पर दिनांक 10.07.2012 से उक्त राशि के वास्तविक निर्मुक्ति की तिथि तक किसी भी प्रकार के ब्याज का हकदार नहीं होगा।

(iii) अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की तारीख से एक महीने के भीतर प्रत्येक प्रत्यर्थी का, पंचाट की तिथि से 10.07.2012 तक, उनके क्रमशः मूलधन राशि पर उक्त ब्याज राशि का 60% जमा करें।

7. इस अपील को पूर्वोक्त संशोधन के साथ निष्पादित किया जाता है।

8. रजिस्ट्री को, तदनुसार, पंचाट तैयार करने का निर्देश दिया जाता है और समझौता याचिका को पंचाट के एक हिस्सा के रूप में माने जाने का निर्देश दिया जाता है।

9. इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन (आई0ए0), यदि कोई इस मामले में लंबित है, तदनुसार निष्पादित किया जाता है।

10. निचले न्यायालय के अभिलेख इस निर्णय की एक प्रति के साथ निचली अदालत में तुरंत वापस भेजे जाएं।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायालय)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक—24 जून, 2020
स्मिता / ए०एफ०आर०